



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन मवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- apccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : ०१ / यो०बजट-१२/२०१६-८/७ दिनांक : २४/६/१८

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा / सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार / साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज / पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़ / जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा / दुमका वन प्रमण्डल, दुमका / लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा / राँची वन प्रमण्डल, राँची / खूंटी वन प्रमण्डल, खूंटी / सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा / गुमला वन प्रमण्डल, गुमला / सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला / जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर / लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2018-19 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत बॉस गैबियन से पंचायत भवन, बॉस गैबियन से स्कूल, कॉलेज एवं अन्य सरकारी संस्थानों, लम्बे पौधों से चाहरदिवारीयुक्त संस्थानों तथा लौह गैबियन से शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल रु0 131.729 लाख (एक करोड़ एकतीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाइन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो०ब०-१८/२०१६-१९/स्वी० व०प० दिनांक 28.06.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो०ब०-१८/ २०१६-३०/आ० व०प० दिनांक 26.04.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 131.729 लाख (एक करोड़ एकतीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796590103	113.128
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796590323	18.601
कुल :-		131.729

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन के अनुलग्नक—1 (क) से (घ) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने—अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक—2 (क) से (ग) एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक—3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या— पी0 19S240601796590103 तथा पी0 19S240601796590323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी।

6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनात्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक / क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद संबंधी पत्र—परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

10. इस योजनात्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनात्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

14. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निधारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट-12/2016- ४/७ दिनांक— २४/६/१८

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ राँची/ जमशेदपुर/ पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, पलामू/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— ०१ / योबजट—१२/२०१६—८/७ दिनांक—२४/६/१८

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, दुमका/ कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा/ कोषागार पदाधिकारी, लातेहार/ कोषागार पदाधिकारी, साहेबगंज/ कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़/ कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा/ कोषागार पदाधिकारी, लोहरदगा/ कोषागार पदाधिकारी, खूंटी/ कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ कोषागार पदाधिकारी, सरायकेला—खरसावाँ/ कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर/ कोषागार पदाधिकारी, लातेहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्ति ।

प्रधान मुख्या वन संरक्षक प्रिकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1(क)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत पंचायत भवन की पूर्णता/ कार्यशिलता के प्रत्येक पंचायत में 10 बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	पंचायत भवन की पूर्णता/ कार्यशिलता की स्थिति	भौतिक लक्ष्य बाँस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य		
					मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
1	दुमका	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	152	1520	4.149	1.056	5.205
2	खूंटी	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	53	530	1.447	0.368	1.815
3	राँची	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	137	1370	3.740	0.952	4.692
4	सिमडेगा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	93	930	2.539	0.646	3.185
5	साहेबगंज	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	161	1610	4.395	1.119	5.514
6	पाकुड़	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	124	1240	3.385	0.863	4.248
7	जामताड़ा	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	117	1170	3.194	0.813	4.007
8	लोहरदगा	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	63	630	1.720	0.438	2.158
9	सरायकेला-खरसावाँ	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	119	1190	3.249	0.827	4.076
योग :-			1019	10190	27.818	7.082	34.900

प्रधान मन्त्री वन संरक्षक विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1(ख)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल, कॉलेज एवं अन्य सरकारी संस्थानों में बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)


क्र० सं०	जिला का नाम	निकासी एवं व्यथन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य बाँस गैबियन (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			272.99	69.50	342.49	
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	लातेहार	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	500	1.365	0.347	1.712
2	दुमका	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	750	2.047	0.521	2.568
3	रौची	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, रौची	2000	5.460	1.390	6.850
4	सिमडेगा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	500	1.365	0.347	1.712
5	लातेहार	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	500	1.365	0.348	1.713
6	साहेबगंज	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	1000	2.730	0.695	3.425
7	पाकुड़	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	500	1.365	0.348	1.713
8	जामताडा	जामताडा वन प्रमण्डल, जामताडा	750	2.047	0.521	2.568
9	दुमका	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	750	2.047	0.521	2.568
10	लोहरदगा	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	1000	2.730	0.695	3.425
11	रौची	रौची वन प्रमण्डल, रौची	2000	5.460	1.390	6.850
12	खूंटी	खूंटी वन प्रमण्डल, खूंटी	500	1.365	0.348	1.713
13	सिमडेगा	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	500	1.365	0.348	1.713
14	गुमला	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	1000	2.730	0.695	3.425
15	जमशेदपुर	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	1000	2.730	0.695	3.425
16	सरायकेला-खरसावाँ	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	1000	2.730	0.695	3.425
योग :-			14250	38.901	9.904	48.805

प्रधान पुरुष वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रौची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत सी0आर0पी0एफ0 / राज्य पुलिस/ मिलीट्री कैम्पस/ अन्य वैसे जगहों पर जहाँ चहारदिवारी एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो, लम्बे पौधों से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र० सं0	जिला का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य लम्बे पौधे (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
				272.99	9.50	282.49
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	दुमका	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	750	2.047	0.071	2.118
2	राँची	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	2000	5.460	0.190	5.650
3	सिमडेगा	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	500	1.365	0.048	1.413
4	लातेहार	लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार	500	1.365	0.048	1.413
5	साहेबगंज	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	500	1.365	0.048	1.413
6	पाकुड़	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	250	0.683	0.024	0.707
7	जामताड़ा	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	500	1.365	0.048	1.413
8	दुमका	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	750	2.047	0.071	2.118
9	लोहरदगा	लोहरदगा वन प्रमण्डल, लोहरदगा	1000	2.730	0.095	2.825
10	राँची	राँची वन प्रमण्डल, राँची	2000	5.460	0.190	5.650
11	खूंटी	खूंटी वन प्रमण्डल, खूंटी	500	1.365	0.048	1.413
12	सिमडेगा	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	500	1.365	0.047	1.412
13	गुमला	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	500	1.365	0.047	1.412
14	जमशेदपुर	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	750	2.047	0.071	2.118
15	सरायकेला—खरसावाँ	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	1000	2.730	0.095	2.825
योग :-			12000	32.759	1.141	33.900



प्रधान मुख्यमन्त्री वन संरक्षक सेविकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1(घ)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत लौह गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य लौह गैबियन (संख्या में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	vi	v	vi
1	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	500	1.365	0.047	1.412
2	राँची वन प्रमण्डल, राँची	3000	8.190	0.285	8.475
3	जमशोदपुर वन प्रमण्डल, जमशोदपुर	1000	2.730	0.095	2.825
4	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	500	1.365	0.047	1.412
योग :-		5000	13.650	0.474	14.124

प्रधान मुख्य वन संपर्क, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2(क)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

पथरट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस – गैबियन में वृक्षारोपन

- | | |
|---|--|
| 1. बाँस–गैबियन का आकार: 6'-6"x2'-6"x2'-6" | 2. स्पेसिंग – पंक्ति से पंक्ति की दूरी – 3 मी० |
| 3. मजदूरी दर : रु० 237.38 प्रति मानव दिवस | – पौधे से पौधे की दूरी – 8 मी० |

क्र० सं०	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस (प्रति हे०)	मजदूरी, (रु०)	सामग्री प्रति हे०	कुल व्यय (रु०)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(D) वित्तीय वर्ष 2018-19 के संपादन कार्य वृक्षारोपन में							
1	तीन कोड़नी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव		0.15	35.61	4.50	40.11	
2	पटवन (रिक्षा/ठेला हारा)		0.50	118.69	5.00	123.69	
3	बाँस गैबियन का मरम्मती एवं सुरक्षा		0.50	118.69	60.00	178.69	
	योग		1.15	272.99	69.50	342.49	

प्रधान प्रश्न वन सरकार, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2(ख)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

पथरट / संस्थानों आदि की भूमि पर बिना घेरान के लम्बे पौधों का वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

3. मजदूरी दर : ₹0 237.38 प्रति मानव दिवस

पंक्ति से पंक्ति की दूरी - 3 मी०
2. स्पेसिंग— पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी०

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹0 मे)	भासगी (₹0 मे)	कुल व्यय (₹0 मे)
1	2	3	4	5	6	7
(C) वित्तीय वर्ष 2018-19 में संगोष्ठण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	तीन कोड़ी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति पौधा	0.15	35.61	4.50	40.11
2	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	प्रति पौधा	0.50	118.69	5.00	123.69
3	सुरक्षा	प्रति पौधा	0.50	118.69	0.00	118.69
	योग		1.15	272.99	9.50	282.49

अनुलग्नक-2 (ग)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कार्य दर तालिका (प्रति गैबियन)

योजना का नाम— पथरट / संस्थानों आदि की भूमि पर लोहा — गैबियन वृक्षारोपण (वर्षाकालीन वृक्षारोपण)

1. लोहा गैबियन का आकार: 5'x2'x2'
3. मजदूरी दर : ₹0 237.38 प्रति मानव दिवस

पंक्ति से पंक्ति की दूरी - 3 मी०
2. स्पेसिंग— पौधे से पौधे की दूरी - 5 मी०

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (₹0 मे)	भासगी (₹0 मे)	कुल व्यय (₹0 मे)
1	2	3	4	5	6	7
(C) वित्तीय वर्ष 2018-19 में संगोष्ठण कार्य (तृतीय वर्ष)						
1	तीन कोड़ी निकौनी (प्रथम- 5ग्रा. युरिया 5ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया 5 ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्प्रे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	35.61	4.50	40.11
2	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	118.69	5.00	123.69
3	सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	118.69	0.00	118.69
	योग		1.15	272.99	9.50	282.49

प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

आरण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाएं गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-12/16P1/817

दिनांक -

28-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796590103	36735	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	824,300.00 रुपये आठ लाख चौहस हजार तीन सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601796590103	36736	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	1,610,700.00 रुपये सोलह लाख दस हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601796590103	36737	SDGAI002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	526,900.00 रुपये पाँच लाख छब्बीस हजार तौ सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA			

2,961,900.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये उन्तीस लाख इक्सठ हजार नौ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF(D)ADHARNA(M)RANCHI

क्रमांक	विपरीत कोड	एक्सेस नं	निकाती एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिमूलित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36738	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	136,500.00 रुपये एक लाख छहतीस हजार पौँच सौ
5	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिमूलित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36739	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV FOR.OFF.SAHIBG NJ	849,000.00 रुपये आठ लाख उनचास हजार
6	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिमूलित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36740	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	543,300.00 रुपये पैंच लाख तीरबातीस हजार तीन सौ

योगः

1,528,800.00

कमिक गोपा-

रुपये घदालीस लाख नब्बे हजार सात सौ

4,490,700.00

(SHRI SATNAM SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भन्ने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36741	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	660,600.00 रुपये छ: लाख साहठ हजार छ: सौ
8	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भन्ने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36742	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O. DUMKA	545,900.00 रुपये पाँच लाख पैतालीस हजार चौहां सौ
9	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन एवं भन्ने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36743	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	718,000.00 रुपये सात लाख अंदारह हजार
<hr/>				
योग:				1,924,500.00
क्रमिक योग:	रुपये छोसठ लाख पन्दह हजार दो सौ			6,415,200.00
<hr/>				
 (SHRI SATNAM SINGH) PCCF, DEO (MACHHARD) RANCHI				
<hr/>				
Page 3 of 11		Run Date:	28/6/2018	

क्रमांक	विपरी कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय भेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36744	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO, RANCHI FORES DIVISION RA	1,911,000.00 रुपये उन्नीस लाख ग्यारह हजार
11	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय भेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36745	RNCFOR01 A.K. GUPTA DFO KHUNTI	273,000.00 रुपये दो लाख तीनतर हजार
12	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय भेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36746	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	273,000.00 रुपये दो लाख तीनतर हजार
<hr/>				
योग:				2,457,000.00
क्रमिक योग:	रुपये अठयासी लाख बहत्तर हजार दो सौ			8,872,200.00
 (SHRI SATNAM SINGH) PCCF,D(BADHARKHAND)RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिमूलित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36747	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	409,500.00 रुपये चार लाख नौ हजार पॉच सौ
14	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिमूलित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36749	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SEBIKELLA-KHARSA WAN	1,007,400.00 रुपये दस लाख सात हजार चार सौ
15	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिमूलित बन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36750	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	750,700.00 रुपये सात लाख पचास हजार सात सौ

योग: 2,167,600.00

क्रमिक योग: 11,039,800.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF.DEPATMENT OF RANCHI

Run Date: 20/07/2016

क्रमांक	विपरी कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवस्थन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601796590103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - बेतन गाँव 'मने 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36752	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	273,000.00 रुपये दो लाख तीन हजार
17	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36756	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIV.DUMKA	164,800.00 रुपये एक लाख चौसठ हजार आठ सौ
18	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36757	DRNFWL004 BIMAL LAKRA DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	290,000.00 रुपये दो लाख नब्बे हजार
<hr/>				
योग:				727,800.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड़ स त्र ह लाख सठसठ हजार चौ सौ			11,767,600.00
				
			(SHRI SATNAM SINGH)	
			PCCF.D.DADHAIKHAND(RANCHI)	

क्रमांक	विपरी कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36758	SDGAIF002 SRI NIRANJAN PRASAD DEO DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	104,100.00 रुपये एक लाख चार हजार एक सौ
20	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36759	LTRFOR004 ARVIND KUMAR GUPTA D.F.O. SFD LATEHAR	34,700.00 रुपये बीतीस हजार सात सौ
21	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36760	SBJFOR001 MANISH KUMAR TIWARY DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	186,200.00 रुपये एक लाख छियासी हजार दो सौ
<hr/>				
योग:				325,000.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड बीस लाख वयानवे हजार छ: सौ			12,092,600.00
<hr/>				
 (SHRI SATNAM SINGH) PCCF,DIVISIONAL HEAD(RANCHI)				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36761	PKRFOR001 PREMJIT ANAND DIVISIONAL FOREST OFFICER	123,500.00 रुपये एक लाख चौहास हजार पैसे सौ
23	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36762	JMTFOR001 RAJ KUMAR SAH D.F.O. JAMTARA	138,200.00 रुपये एक लाख अड्डीस हजार दो सौ
24	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36764	DMKFOR010 ABHISHEK KUMAR D.F.O. DUMKA	63,900.00 रुपये तीरसठ हजार नौ सौ
<hr/>				
योग:				325,600.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड चौहास लाख अठारह हजार दो सौ			12,418,200.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36765	LDGFOR001 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV.FOREST OFFICER	122,800.00 रुपये एक लाख बाइस हजार आठ सौ
26	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36766	DRNFWL013 RAJIV LOCHAN BAKSHI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	186,500.00 रुपये एक लाख छियासी हजार पाँच सौ
27	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36767	RNCFOR01 A.K. GUPTA D.F.O KHUNTI	39,600.00 रुपये उनचालीस हजार छ: सौ
<hr/>				
योग:				348,900.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड सत्ताइस लाख सड़सठ हजार एक सौ			12,767,100.00
<hr/>				
<i>Saharan</i> (SHRI SATNAM SINGH) PCCF,D.B.D.(MANJHANS)RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36768	SDGFOR002 TAJBIR BHAGAT DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	39,500.00 रुपये उन्नालीस हजार पाँच सौ
29	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36769	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	74,200.00 रुपये चौहत्तर हजार दो सौ
30	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36771	SKLFOR001 A EKKA D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	166,400.00 रुपये एक लाख छाँठ हजार चार सौ
<hr/>				
योग:				280,100.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड़ तीस लाख सैतालीस हजार दो सौ			13,047,200.00
<hr/>				

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिमूलिक वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36772	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	86,100.00 रुपये छियासी हजार एक सौ
32	S 19 240601796590323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिमूलिक वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : AFFORESTATION ON LAND OUTSIDE NOTIFIED FOREST(1279) Central Scheme : NA	36773	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	39,600.00 रुपये उनचालीस हजार छ: सौ
<hr/>				
योग:				125,700.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड इकतीस लाख बहत्तर हजार नी सौ			13,172,900.00
<hr/>				
Page 11 of 11		164 100.160.21	PCCF,DEADMANHANSI,RANCHI	